



प्रेस विज्ञप्ति

02/09/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोझीकोड उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 28.08.2024 को केरल में तीन स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी इस्माइल चक्करथ से जुड़े व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में की गई, जिन पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, दोहा, कतर को धोखा देकर उत्पन्न अवैध आय को रूट करने का संदेह था।

ईडी ने अपराध शाखा, ईओडब्ल्यू, कन्नूर और कासरगोड यूनिट द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी इस्माइल चक्करथ, थुवक्कुन्नू, कन्नूर शहर, केरल का निवासी है और दोहा, कतर में मेसर्स ग्रैंट मार्ट ट्रेडिंग नामक एक फर्म चला रहा है, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान का विस्तार करने के लिए कतर में रहने आया और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, कतर से कुल मिलाकर क्यूएआर की राशि का ऋण लिया। 30643204/- (61,28 करोड़ रुपये के बराबर) और ऋण लेने के बाद न तो उक्त राशि वापस की और न ही इसका इस्तेमाल व्यापारिक प्रतिष्ठान के विस्तार के लिए किया।

ईडी की जांच में पता चला है कि कतर में लिए गए ऋण को डायवर्ट किया गया और केरल के वायनाड में बेनामी नामों से निवेश किया गया। एक अचल संपत्ति की खरीद के लिए 2.02 करोड़ रुपये की धनराशि को डायवर्ट किया गया, जो बाद में अमल में नहीं आई। इसके बावजूद, कथित विक्रेता ने अपराध की उक्त आय को बिना वापस किए अपने कब्जे में रखा।

तलाशी अभियान के दौरान, 3.50 लाख रुपये की नकद राशि, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज मिले और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप इस्माइल चक्करथ और संबंधित संस्थाओं के 10 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया।

आगे की जांच जारी है।